न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 102/16 वाद पत्र.

उनवान

1—मंजू कंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादिया

बनाम

1— चमनसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
2— कान कंवर बेवा कल्याणसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
3— चेन कंवर पुत्री प्रवीणसिंह राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
4— किरण कंवर पुत्री प्रवीणसिंह ना.बा.ब.वि. माता चैन कंवर राजपूत निवासी आसपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
5— सहकारी भूमि विकास बैक शाखा गंगापुर।
6— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. महेन्द्रसिंह—

अधिवक्ता वादीया

दिनांक 28.02.2019

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.06.2017 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसपुर पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक व चार के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 5 रकबा 0.01 है0गै0मु0आ0चा0, आराजी संख्या 514 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 517 रकबा 0.34 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.55 है0 भूमि स्थित है। जिसमे वादिया का 1/4 हिस्सा तथा आराजी संख्या 5 रकबा 0.01 है0गै0मु0आ0चा0 को सामलाती रखते हुए तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से बटवारा प्रस्ताव चाहा गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 27.12.2017 को बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीया के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है अतः

आदेश

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसपुर पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर की आराजी संख्या 514/2 रकबा 0.0550 है0, 517/2 रकबा 0.0800 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.1350 है0 मंजु कंवर पुत्री देवीसिंह राजपुत सा०देह खातेदार आराजी न0 514/1 रकबा 0.1450 है0, 517/1 रकबा 0.2600 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.4050 है0 चमनसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत, कान कंवर बेवा कल्याणसिंह 2/3 हिस्सा, चैन कंवर बेवा प्रवीण सिंह किरण कवंर पुत्री प्रवीण सिंह ना.बा.ब.वि.माता चैन कंवर राजपुत 1/3 हिस्सा सा.देह खातेदार एवं आराजी नम्बर 5 रकबा 0.01 है0गै0मु0आ0चा0 चमनसिंह पिता कल्याणसिंह राजपुत, कान कंवर बेवा कल्याणसिंह 1/2 चैन कंवर बेवा प्रवीण सिंह, किरण कवंर पुत्री प्रवीण सिंह ना.बा.ब.वि.माता चैन कंवर राजपुत 1/4 मंजु कंवर पुत्री देवीसिंह राजपुत 1/4 सा0देह खातेदार के नाम सामलाती दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिह
आर.ए.एस
सहायककलक्टर(उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्डअधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा